

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी

दन्तेवाड़ा वनमण्डल, दन्तेवाड़ा (छ.ग.)

कार्यालय-दूरभाष (07856) 252228, फ़ैक्स-252305 निवास-(07856) 252439 E-mail:-dfodnt@rediffmail.com

क्रमांक/मा.चि./3219

प्रति,

दन्तेवाड़ा, दिनांक 14/05/2024

मुख्य वन संरक्षक,
जगदलपुर वृत्त, जगदलपुर

विषय – Diversion of Forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980
Proposed for "LIC Building Dantewada" area 0.262 Ha. compartment No. P1373
संदर्भ :- 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) अटल नगर नवा रायपुर का पत्र पृष्ठा.
क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/115-759/917 रायपुर दिनांक 03.04.2024
2. आपका पत्र क्रमांक/मा.चि./2006 दन्तेवाड़ा दिनांक 15.04.2024
3. शाखा प्रबंधक, भारतीय जीवन बीमा निगम, शाखा-दन्तेवाड़ा का पत्र क्रमांक/RC359168401IN Date
03.05.2024

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत दन्तेवाड़ा वनमण्डल अन्तर्गत शाखा प्रबंधक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा एल. आई.सी. भवन निर्माण हेतु कक्ष क्रमांक पी/1373 रकबा 0.262 हेक्टेयर वन भूमि को गैर वानिकी उपयोग हेतु प्रस्ताव 1 से 44 कण्डिका में तैयार कर प्रस्तुत किया गया था। संदर्भित पत्र – 1 के माध्यम से उक्त प्रस्ताव में 08 बिन्दुओं की जानकारी चाही गई है।

अतः उपरोक्त बिन्दुओं की जानकारी तैयार कर अग्रिम कार्यवाही हेतु आपके अवलोकनार्थ संलग्न संप्रेषित है:-

क्रमांक	कंडिका	विवरण
1	फार्म ए पार्ट-2 के बिन्दु क्रमांक 2 (Legal Status) के कॉलम में Protected Forest (संरक्षित वन) चयन कर अपलोड किया गया है। वनमण्डलाधिकारी प्रपत्र-3 में आरक्षित वन (Reserved Forest) लेख है। ऑनलाईन सुधार कर प्रेषित करें।	डाटा सुधार कर पुनः अपलोड किया गया है।
2	फार्म ए पार्ट-1 के बिन्दु क्रमांक c(Maps of Forest land proposed to be diverted) में अवेदित क्षेत्र का के.एम.एल. फाईल अपलोड नहीं किया गया है। पुनः सुधार उपरांत C.(ii) b(1): Upload kml के attribute में विवरण, जैसे RF/PF along with Compartment no. And area in ha./ Revenue Forest land along with Khasra no. And area in ha. आदि जानकारी के साथ अपलोड करें।	पुनः डाटा सुधार कर अवेदित क्षेत्र का के.एम.एल. फाईल अपलोड किया गया है।
3	वनमण्डलाधिकारी के निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार अपलोड के.एम.एल. फाईल, टोपोशीट, Geo-referenced map एवं फार्म ए पार्ट-1 में समस्त पी.डी.एफ. फाईल अपडेट सुधार अनुसार पुनः अपलोड नहीं किया गया है। सुधार कर अपलोड करें।	वनमण्डलाधिकारी के निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार अपलोड के.एम.एल. फाईल, टोपोशीट, Geo-referenced map एवं फार्म ए पार्ट-1 में समस्त पी.डी.एफ. फाईल

		अपडेट/सुधार कर पुनः अपलोड किया गया है।
4	Form A part - I में, Column No. K. Status of settlement of rights under the forest rights Act, 2006 on the forest land proposed to be diverted " (i). Whether the process for the settlement of Rights under the Forest Rights Acts 2006 on the Forest land proposed to be diverted has been completed? : No" तत्संबंध में यदि वन अधिकार पत्र प्राप्त होने पर उक्त कॉलम पर अपलोड करें। प्रकरण में एफ.आर.ए. प्राप्त है, अपलोड करें।	वन अधिकार संबंधि कलेक्टर महोदय का अनापत्ति प्रमाण पत्र उक्त कॉलम में अपलोड किया गया है।
5	Form A part - II में Coloum No.13 Details of Land identified for Compensatory Afforestation. में प्रस्तावित क्षेत्र का के.एम.एल. फाईल अपलोड किया गया है, सुधार कर अपलोड करें।	सुधार किया गया है।
6	Form A part - II के कालम नं. 16 (Specific recommendation of the DFO/CCF/Nodal Officer with (Part ii, iii & part iv)) में अपलोड भाग -2 वेब पोर्टल पर अपलोड करें।	सुधार कर अपलोड किया गया है।
7	प्रकरण Non Site Specific श्रेणी का होने के कारण वनमण्डलाधिकारी, दन्तेवाड़ा का औचित्यपूर्ण टीप आवश्यक है।	संलग्न है।
8	कंडिका क्रं. 16 के संबंध में यह प्रमाण पत्र संलग्न करें कि "भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय भवन हेतु आवेदित रकबा 0.262 हे. वन भूमि प्रस्तावित है तथा क्षेत्र वृक्ष विहीन है।" भारत सरकार/राज्य सरकार के निर्देशानुसार 100 वृक्ष लगाने के प्रावधान अनुसार जो व्यय आवेगा वह राशि आवेदक संस्थान जमा करने हेतु वचनबद्ध है। अतः स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की आवश्यकता नहीं है।	"भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय भवन हेतु आवेदित रकबा 0.262 हे. वन भूमि प्रस्तावित है तथा क्षेत्र वृक्ष विहीन है।" भारत सरकार/राज्य सरकार के निर्देशानुसार 100 वृक्ष लगाने के प्रावधान अनुसार जो व्यय आवेगा वह राशि जमा करने हेतु आवेदक संस्थान वचनबद्ध है। प्रमाण पत्र संलग्न है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(प्रस्ताव 03 प्रतियों में)

क्रमांक/क.त.अ./ 3220

प्रतिलिपि:-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) अटल नगर नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. शाखा प्रबंधक, भारतीय जीवन बीमा निगम, शाखा-दन्तेवाड़ा की ओर सूचनार्थ।

वनमण्डलाधिकारी
दन्तेवाड़ा वनमण्डल दन्तेवाड़ा
दन्तेवाड़ा, दिनांक 14/10/2024

वनमण्डलाधिकारी
दन्तेवाड़ा वनमण्डल दन्तेवाड़ा

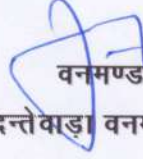
कार्यालय वनमण्डलाधिकारी दन्तेवाड़ा वनमण्डल, दन्तेवाड़ा (छ.ग.)

कार्यालय -दूरभाष (07856) 252228, फ़ैक्स-252305 निवास -(07856) 252439 E-mail:-dfodnt@rediffmail.com

“औचित्य टीप”

प्रमाणित किया जाता है कि, भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा दन्तेवाड़ा द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम, कार्यालय भवन निर्माण हेतु संरक्षित वन कक्ष क्रमांक-पी.1373 में रकबा 0.262 हैं. वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा दन्तेवाड़ा द्वारा दन्तेवाड़ा शहर में अन्य मद की भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण वन भूमि का चयन कर, वन संरक्षण अधिनियम 1980 अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है। आवेदित क्षेत्र रकबा 1.000 हैं. से कम रकबा 0.262 हैं. होने के कारण वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु भूमि उपयोग में देने योग्य है।


वनमण्डलाधिकारी
दन्तेवाड़ा वनमण्डल दन्तेवाड़ा



भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

शाखा कार्यालय, चौहान बिल्डिंग, मैन रोड, दन्तेवाड़ा (छग) - 494449

Branch Office, Chouhan Building, Main Road, Dantewada (cg) - 494449

वचन पत्र

"भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय भवन हेतु आवेदित रकबा 0.262 हे. वन भूमि प्रस्तावित है तथा क्षेत्र वृक्ष विहीन है।" भारत सरकार/राज्य सरकार के निर्देशानुसार 100 वृक्ष लगाने के प्रावधान अनुसार जो व्यय आवेगा वह राशि जमा करने हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम, शाखा-दन्तेवाड़ा वचनबद्ध है।


शाखा प्रबंधक 3/05/2024

शाखा कार्यालय दन्तेवाड़ा

Devendra Nivja
Branch Manager
L.I.C. OF INDIA
B O - DANTEWADA